न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर00ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 15/2013

प्रविष्टि दिनांकः— 30.01.2013

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा .....प्रार्थी

बनाम

1. नंदा |
2. किशनलाल |
3. रामस्वरूप | पिसरान उदा जाति गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 मालपुरा
4. रामा | जिला टोंक
5. गोपाल |
6. लाला | ..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः—(1) श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण

(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 18.05.2017

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 240.03 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जो गे0मु0 नदी है, में से 2.00 बीघा का आवण्टन अप्रार्थीगण के पिता उदा पुत्र भैंरू जाति गुजर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा का दिनांक 10—11—84 को किया गया है तथा उक्त आवण्टन के आधार पर विवादित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 243 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 375 दिनांक 20.08.98 से आवण्टी के हक में अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है। विवादित उक्त भूमि ख0नं0 ना0क0 सं0 385 से बटा नं0 402/17 हुआ जिसमें रकबा 2.00 बीघा विरासत का नामांतकरण सं0 490 से अप्रार्थीगण व भूरी बेवा उदा, रसाल, सजना, बरदी, लुई, लाली पुत्रियां उदा के पक्ष में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि का जरिये हक त्याग खातेदारी का नामांतकरण सं0 508 से अप्रार्थीगण के पक्ष स्वीकृत किया गया। चूंकि उक्त भूमि खतौनी भूप्रबन्ध जमाबन्दी सं0 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज थी। अतः उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित होने से आवण्टन योग्य नहीं है। ऐसी भूमियों को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने डी0बी0सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 2.08.2004 में भी उल्लेख किया है तथा उक्त निर्णय की पालना में यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन आदेश व उसकी पालना में भरा गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 243 व खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 375 तथा नामांतकरण सं0 490,508 निरस्त करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगण की गई। प्रकरण में राजकीय अभिभाषक एंव विपक्षीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

3– राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अवैधानिक रूप से विपक्षीगण के पक्ष में दर्ज उक्त भूमि को पुनः सरकार के नाम करने का निवेदन किया।

4– विपक्षीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर विपक्षीगण के पूर्वजों एवं विपक्षीगण का 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुखालिफाना कब्जा होने के आधार पर विपक्षीगण विवादित भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार हो गये हैं। विपक्षी भूमि पर लगातार काश्त कर रहे हैं जिन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। मौके पर गे.मु. नदी नहीं है एंव उक्त भूमि कभी भी नदी, नाला, तालाब हैतु उपयोग में नहीं ली गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एवं मनन किया। विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 402 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा जो गे0मु0 नदी है, का आवण्टन अप्रार्थीगण के पिता उदा पुत्र भैंरू जाति गुजर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा का दिनांक 10–11–84 को कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2010 के अनुसार विवादित भूमि गै0मु0 नदी दर्ज है। विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के पक्ष में खातेदारी का नामांतकरण व जरिये हकत्याग नांमातकरण स्वीकृत किये गये। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी आवंटी का अगूंठा निशानी बतायी गई है जबकि आवंटी को जारी किये गये सुपुर्दगीनामा पर आवंटी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अंकित है, इस प्रकार उक्त आवंटन संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। विवादित भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 के अनुसार उक्त भूमि गै0मु0 नदी होना साबित है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आवंटन के विरूद्व लगभग 28 वर्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करते हुए प्रकरण में जाचं कर पुनः प्रकरण यदि रेफरेन्स योग्य बनता हो तो वह न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय

6– फलतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण का पुनर्वालोकन कर पुनःरेफरेन्स की कार्यवाही करें।

7– निर्णय आज दिनांक 18.05.2107 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राज0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक